



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272362  
CG-DL-E-08052026-272362

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2175]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948

No. 2175]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2026

का.आ. 2266(अ).— दिनांक 23.01.2023 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 19.01.2023 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 375 (अ) के आंशिक संशोधन और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, कर्नाटक राज्य में मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संरचनाओं के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्रीमती कलावती एम., तहसीलदार ग्रेड-2, नेलमंगला तालुका, बेंगलुरु ग्रामीण जिला, कर्नाटक सरकार को श्रीमती बनुप्रिया एच., तहसीलदार ग्रेड-2, कर्नाटक सरकार के स्थान पर, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/112/2017-जीपी-II (ई-45566)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th May, 2026

**S.O. 2266(E).**— In partial modification of Government of India notification no. S.O. 375(E) dated 19.01.2023 published in the Extraordinary Gazette of India dated 23.01.2023 and in pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Smt. Kalavathi M., Tehsildar Grade-2, Nelamangala Taluk, Bangalore Rural District, Government of Karnataka in place of Smt. Banupriya H., Tehsildar Grade-2, Government of Karnataka to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, on deputation basis, for Natural Gas Pipeline Infrastructure of M/s GAIL (India) Limited in the State of Karnataka.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/112/2017-GP-II (E-45566)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.